वित्तीय स्वीकृति / स्पीड पोस्ट

संख्या: 3/2015/1916 प्रो0/51-2014-14(14)/2012

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ :दिनांक 18 फरवरी, 2015

विषय:- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 906/प्रोटोकाल-विविध/2014, दिनांक 05 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रुपये 1,19,142-00 (रुपये एक लाख उन्नीस हजार एक सौ बयालीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क्रम | मा0 राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/वाहन संख्या/ देयक संख्या/दिनांक/खान-पान से संबंधित देयक संख्या | धनराशि |
|---|---|---|
| 1- | मा0 न्यायमूर्ति श्री घरनीधर झॉ, जज,<br>मा0 उच्च न्यायालय पटना,<br>दिनांक 04-04-2014 से 05-04-2014 तक<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-210 | रु 1,510-00 |
| 2- | मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना, दिनांक 13-04-2014 से14-04-2014 तक<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-222, | रु 1,522-00 |
| 3- | मा0 न्यायमूर्ति श्री हेमन्त कुमार गुप्ता , जज,<br>मा0 उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा चण्डीगढ,<br>दिनांक 14-04-2014 से 15-04-2014 तक | रु 765-00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| | खान-पान से संबंधित देयक संख्या-223 | |
| 4- | मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0 के0 सीकरी, जज, मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत, दिनांक 19-04-2014,<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-232, | रु 296-00 |
| 5- | मा0 न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार सिंह, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना, दिनांक 19-04-2014 से 20-04-2014 तक<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-227 | रु 1,318-00 |
| 6- | मा0 न्यायमूर्ति श्रीधरनीधर झॉ, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना, दिनांक 20-04-2014, खान-पान से संबंधित देयक संख्या-234, | रु 596-00 |
| 7- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, जज, मा0 उच्च न्यायालय पटना, दिनांक 16-05-2014 से 17-05-2014 तक<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-312 | रु 938-00 |
| 8- | मा0 न्यायमूर्ति श्री शिव कीर्ति जज, मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत, दिनांक 20-05-2014 से 21-05-2014 तक,<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-313, | रु 1,532-00 |
| 9- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री शिवा जी पाण्डेय, जज, मा0 उच्च न्यायालय पटना, दिनांक 23-05-2014,खान-पान से संबंधित देयक संख्या-315, | रु 436-00 |
| 10- | मा0 न्यायमूर्ति श्री नूटी राम मोहन राव, जज, मा0 उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश, दिनांक 24-05-2014 से 25-05-2014 तक<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-319 | रु 1,350-00 |
| 11- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री वी0 के0 पटेल, जज, मा0 उच्च न्यायालय, उडीसा, दिनांक 24-05-2014 से 25-05-2014 तक,<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, इ0 एन0-3458,<br>देयक संख्या- वी0 एन0 एस-63, दिनांक 30-05-2014 तक<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-320, | रु 5,903-00<br><br>रु 966-00 |
| 12- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री किशोर कुमार मण्डल , जज,<br>मा0 उच्च न्यायालय,, पटना,<br>दिनांक 27-05-2014 से 28-05-2014 तक ,<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-333, | रु 1,088-00 |
| 13- | श्री अक्षय राऊत, महानिदेशक, मा0 निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, | रु 10,442-00 |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | दिनांक 29-05-2014 से 30-05-2014 तक<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-3308,<br>देयक संख्या- वी0 एन0 एस-66, दिनांक 31-05-2014<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-326 | रु 2,232-00 |
| 14- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री चक्रधारी शरन सिंह, जज,<br>मा0 उच्च न्यायालय, पटना ,<br>दिनांक 04-06-2014 से 06-06-2014 तक,<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-5992,<br>देयक संख्या- वी0 एन0 एस-71, दिनांक 20-06-2014 तक<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-348, | रु 11,806-00<br><br><br>रु 3,853-00 |
| 15- | श्री सी0 एम0 प्रसाद, मा0 लोकायुक्त, बिहार ,<br>दिनांक 04-06-2014 से 06-06-2014 तक<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-350, | रु 1,746-00 |
| 16- | श्री राजनाथ सिंह, मा0 केन्द्रीय, ग्रह मंत्री, भारत सरकार,<br>दिनांक 09-06-2014 से 10-06-2014 तक,<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-3328,<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-6048,<br>,देयक संख्या- ए0 एल0 डी0-91, दिनांक 30-06-2014,<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-364, | रु 27,836-00<br><br><br><br>रु 338-00 |
| 17- | श्री कलराज मिश्रा, मा0 केन्द्रीय मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम<br>उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,<br>दिनांक 13-06-2014 से 15-06-2014 तक<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-5992,<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-6117,<br>देयक संख्या- वी0 एन0 एस-73, दिनांक 21-06-2014 | रु 19,939-00 |
| 18- | श्री सुधीर क़ष्णा, मा0 सचिव, शहरी विकास मंत्रालय,<br>भारत सरकार, दिनांक 20-06-2014 से 21-06-2014 तक,<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-6117,<br>देयक संख्या- वी0 एन0 एस-79, दिनांक 23-06-2014<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-326 | रु 10,442-00 |
| 19- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री सी0 एम0 प्रसाद, मा0 लोकायुक्त,बिहार,<br>दिनांक 17-06-2014 से 18-06-2014 तक, | रु 1092-00 |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | खान-पान से संबंधित देयक संख्या-382, | |
| 20- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री धरनीधर झॉ, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना,<br>दिनांक 22-06-2014 से 23-06-2014 तक,<br><br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या- 404, | रु 514-00 |
| 21- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव, जज,<br>मा0 उच्च न्यायालय, पटना,<br>दिनांक 21-06-2014 से 22-06-2014 तक ,<br>वाहन संख्या- यू0 पी0-32, बी0 एन0-3308,<br>देयक संख्या- वी0 एन0 एस-80, दिनांक 23-06-2014 | रु 9,681-00 |
| 22- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री वी0 एस0 चौहान, जज,<br>मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत,<br>दिनांक 24-06-2014 से 25-06-2014 तक,<br>खान-पान से संबंधित देयक संख्या-407, | रु 1,001-00 |
| | (रुपये एक लाख उन्नीस हजार एक सौं बयालीस मात्र)कुल योग | रु 1,19,142-00 |

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक - 22 मूलदेयक ।

भवदीय

( इन्द्र राज सिंह )
उप सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 3/2015/1916 (1)प्रो/51-2014-14(14)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, वाराणसी ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी/इलाहाबाद ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

( इन्द्र राज सिंह )
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।